न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत कालीन उद्योग नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0–801/36–3–2013–79(न्यू0वे0)/07 दिनांकः 25–07–2013 द्वारा कालीन उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गयी है, जिसकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में **कालीन उद्योग के नियोजन में(मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) नियोजित कर्मचारियों को** अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100)के जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010 के 181 अंको के ऊपर जुलाई ,2020 से दिसम्बर 2020 तक के औसत अंक 341 अंको पर दिनांकः 01–04–2021 से दिनांकः 30–9–2021 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय हैः–

दृष्टान्तः–रूपये 4500.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 341 पर दिनांकः 1.04.2021 से दिनांकः 30.9.2021 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगाः–

(341–181)

------------X 4500=3978 प्रतिमाह

181

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें निम्नवत् हैः–

क्रमांक	शासनादेश वर्ष 1995 के अनुसार श्रेणियाँ	वर्तमान में संशोधित श्रेणियाँ	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में		दिनांकः 1.04.2021 से दिनांकः 30.9.2021 तक	
				दिनांकः 1.10.2020 से दिनांकः31.3.2021 तक	दिनांकः 1.4.2021 से दिनांकः 30.9.2021 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें,(रूपये में)	दैनिकमजदूरी दरें,(रूपये में)
1	अकुशल	अकुशल	4500.00	8180	3977.55	8477.55	326.05
2	अर्द्ध–कुशल	अर्द्ध–कुशल	5000.00	9088	4419.50	9419.50	362.28
3	कुशल–क	कुशल	5400.00	9815	4773.06	10173.06	391.27
4	कुशल–ख	कुशल	5300.00	9634	4684.67	9984.67	384.02
5	कुशल--ग	कुशल	5200.00	9452	4596.28	9796.28	376.78
6	अतिकुशल	कुशल	5500.00	9997	4861.45	10361.45	398.51
7	लिपिक–1	कुशल	5400.00	9815	4773.06	10173.06	391.27
8	लिपिक–2	कुशल	5100.00	9270	4507.89	9607.89	369.53

(कल्पना श्रीवास्तव)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्याः 64-59 प्रवर्तन–(एम0डब्लू0)/15 दिनांकः 21/05/2021

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराऐं।
2. अनुसचिव उ0प्र0शासन, श्रम अनुभाग–3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक,श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,(वेज सेल) भारत सरकार नई ई–मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
5. उप श्रम आयुक्त,(आई0 आर0), मुख्यालय, कानपुर।
6. अपर श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कोई ई–मेल के माध्यम से प्रेषित व विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(कल्पना श्रीवास्तव)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

Scanned with CamScanner